समक्ष न्यायालय श्रीमान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू महोदय, जबलपुर कैम्प संभाग, जबलपुर म.प्र.

राजस्व निगरानी/अपील क्र--   /2016

अपील -1178 - I - 16

श्रीमती अंजनी यादव पति श्री चन्द्रपाल यादव
निवासी--म.नं. 39, ए.पी.आर. कालोनी,
जिला जबलपुर म.प्र.

अपीलार्थिनी

विरूद्ध

1. म.प्र.शासन
2. श्रीमती गुलाब बाई लोधी पति स्व.श्री खुबिया लोधी
3. रघुवीर प्रसाद, विजय हिन्द विक्रम सिह

उपरोक्त सभी निवासी– स्व.श्री गुबिया लोधी निवासी–ग्राम सगड़ा तहसील व जिला जबलपुर बहैसियत मुख्त्यारआम आशीष यादव पिता स्व.श्री रामाधार यादव निवासी--39 ए.पी.आर. कालोनी, कटंगा जबलपुर म.प्र.

प्रत्यर्थीगण

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 47 (क) (5) उपधारा 8 भारतीय स्टाम्प अधिनियम।

यह निगरानी/अपील विचारण न्यायालय श्रीमान कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक जबलपुर म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्र. 80/बी–105/47 (क)(1)/2007–2008जिसमे पक्षकार म.प्र. शासन विरूद्ध श्रीमती गुलाब बाई एवं अन्य मे पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21/07/2014 से क्षुब्ध एवं परिवेदित होकर निम्नांकित अपील प्रस्तुत की जा रही है :–

अपील के तथ्य

1. यह कि, क्रेती श्रीमती अंजनी यादव पति श्री चन्द्रपाल यादव के द्वारा विक्रेतागणो ने अपनी संपत्ति मौजा सगड़ा नं.बं. 421, प.ह.नं. 28

..2..

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 7178–एक/2016 अपील

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों ए आदि के ह
18/4/19	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ । अवलोकन किया गया । यह अपील कलेक्टर आफ स्टाम्पस् जिला जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 80/बी–105/07–08 में पारित आदेश 21–7–14 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है। २/ म०प्र०शासन, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रालय भोपाल व्दारा म०प्र० राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18 सितम्बर 2018 में प्रकाशित अनुसार भारतीय स्टाम्प अधिनयम 1899 की धारा 40 की उपधारा (1) के खंड (घ) में किये गये संशोधन के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर आफ स्टाम्पस् व्दारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील राजस्व आयुक्त को होगी । तद्नुसार प्रकरण आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को सुनवाई हेतु अंतरित किया जाता है। पक्षकार आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के न्यायालय में दिनांक 28–5–2019 को उपस्थित रहें। सदस्य आयुक्त, जबलपुर संभाग,	